क्रान्ति भारत की जनता ने की और वोट के जरिए, क्रांति की बदौलत उस सरकार को हटाया और इस सरकार को लाया। इसको उस मंजिल पर जाना है उसमें बड़ा कदम उठाना होगा। मैं मानता हूं कदम छोटा हो सकता है आहिस्ता हो सकता है, यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है।

कदम हमारे बड़े हों, तेज हों, हमारी रफ्तार ज्यादा हो यह हमारी कामना है और इस दिशा में जब जायेंगे तभी यह संभव होगा और पेंशन एक सुपरफ्लुअस बात हो जायगी। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक हम खिसकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं या वह भी अच्छी बात है। इस दृष्टि से थोड़ा बहुत सुधार किन्हीं लोगों ने किया है। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिये पत्र जारी कीं, लेकिन इन्डारेक्टली उस से भी समाज को कुछ फायदा हुआ तो उस में किसी को एतराज नहीं हुआ। इन्दिरा जी ने जो कुछ किया अपने को गद्दी में बरकरार रखने के लिये उस से जो कुछ बड़े बड़े काम हुए उस से भी समाज को इन्डाइरेक्टली कुछ फायदे हुए। तो इस पेंशन कानून से जिन लोगों को फायदा मिलेगा उस से भी, समाज को फायदा होगा। राइट टू वर्क, राइट टु रिकाल जैसे है उसी तरह से राइट टु पेंशन भी हमारे आदर्श के अनुकूल है और इस लिये यह कोई गलत बात नहीं होगी। यह स्वागत के योग्य बात है और मोटे तौर पर यह विधेयक ठीक ही आया है इसलिये मैं इस का समर्थन करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करते हुए बैठता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): The discussion will continue on the next day. Now we take up the Half-an-hour discussion.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWERS TO UNSTARRED QUESTION 90 GIVEN ON THE 21ST FEBRUARY, 1979 REGARDING TAKING OVER OF SUGAR MILLS IN U.P. AND BIHAR

श्री रामानन्द यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, देश में गन्ना उत्पादकों की संख्या बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र यह मुख्य गन्ना उत्पादक प्रान्त हैं और गन्ना उत्पादन में किसानों की बहुत बड़ी जमात लगी हुई है। और उन के आश्रित जो मिलों में मजदूर है। उस गन्ने के पैसे से जो किसानों को मिलते हैं उस से खरीद फरोख्त की जाती है। उस के माध्यम से जो बेनिफिशरीज है वह आते हैं और इस तरह से गन्ना उत्पादकों ने इस देश के आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। शुरू शुरू में केवल शुगर मिलें ही थी जो इस देश में प्रारम्भ हुई और वे काफी समय तक चलती रहीं और उनसे हमारे मिल मालिकों को बहुत फायदा हुआ और उसके बाद चीनी को बाहर भेज कर, विदेशों में भेज कर इस देश के फारेन एक्सचेंज को बढ़ाने में भी इन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। चीनी ने इस देश के लिये बहुत सा फारेन एक्सचेंज अर्न किया है और उस से आज हमारा भंडार भरा हुआ है। लेकिन गन्ना उत्पादक आज जिस स्थिति में पड़े हुए हैं, जिस दयनीय अवस्था में वे हैं वह अवर्णनीय है।

[श्री रामानन्द यादव]

आज मान्यवर, गन्ने की कीमत लकड़ी जो जंगल में पैदा होती है उस से भी कम सरकार ने निर्धारित की है। 20 रुपये क्विंटल जंगल की लकड़ी बिकती है और भारत सरकार ने गन्ने की कीमत 10 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। यही नहीं, कुछ प्रान्तों में इस के दामों में बढ़ोत्तरी की गयी है, दस रुपये से अधिक उन में बिहार, उत्तर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक हैं, उन्होंने भी बहुत नगण्य बढ़ोतरी की है जिस की पूर्ति वह अपने प्रान्त के एक्सचेकर से करेंगे। उपसभाध्यक्ष जी, आज किसानों की जो समस्यायें हैं वे अवर्णनीय हैं। किसान साल भर मेहनत करते है और एक फसल अपने खेत में पैदा करते हैं। उसी पर उस के सारे परिवार की आशा रहती है कि फसल बिकेगी तो लड़की की शादी करेंगे, बच्चों को पढ़ायेंगे, घर की मरम्मत करेंगे, दवादारू करेंगे और उसी से दूसरे सब काम करेंगे। लेकिन आज स्थिति क्या है। किसान ने ऊख बेची, मिल ने खरीदी। मिल ने ली लेकिन आज केन प्राइस मिल नहीं दे रही है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हु कि तीन तरह की मिलें इस देश में हैं। एक तो प्राइवेट मिल ओनर्स हैं जिनकी संख्या बहुत है। दूसरी कुछ केन्द्रीय सरकार ने मिलों को केन अंडरटेकिंग एक्ट के अनुसार लिया है, जिनकी संख्या 6 या 7 है। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने भी कोआपरेटिव के आधार से इस तरह की मिलों को आर्गनाइज किया है जहां किसान अपनी ऊख ले आते हैं। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने केन कारपोरेशन बनाई हैं जिनके माध्यम से सरकारों ने मिलों को लेकर केन कारपोरेशन को दे दिया है। उपसभाध्यक्ष जी, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि 120 करोड़ रुपया 1977-78 का 31 जनवरी 1979 तक किसानों का मिल वालों ने चुकता नहीं किया है जो आपने खुद स्वीकार किया है और प्रश्नों के जवाब में सदन में बताया। अब आप सोचिये कि 31 जनवरी और उसके बाद आज तक सरकार ने जो मिलें ली है, जो पूंजीपतियों की मिलें हैं और जो कोआपरेटिव की मिलें है उनका करीबन 200 करोड़ रुपया आज तक किसानों का उनके पास पड़ा है। सरकार इस ओर कान में तेल डालकर पड़ी हुई है, कोई प्रयास नही कर रही है।

उपसभाध्यक्ष जी, सबसे अधिक रुपया उत्तर प्रदेश में बाकी है जो 1435.60 लाख है। बिहार में 54.42 लाख, पंजाब में कम है, राजस्थान में 40.42 लाख, बाकी है। उड़ीसा में 7 लाख, महाराष्ट्र में 110.96 लाख, गुजरात में 67 लाख कर्नाटक में 42 लाख, केरल में 10 लाख, आंध्र में 100 लाख और तमिलनाडु में 96 लाख रुपया बाकी है। सब मिलाकर आप सोचिये कि कितनी बड़ी राशि है जो किसानों की गाढ़ी कमाई का मिल मालिकों के पास पड़ी हुई है। यह तो कोआपरेटिव जो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हैं उनके पास भी पैसा पड़ा हुआ है। उन में जो घोटाला होता है, वह महाराष्ट्र और गुजरात के लोग जानते हैं।

श्रीमन्, इस देश में जो मिल मालिक हैं, जो इस देश के प्राइवेट मिल ओनर्स हैं उनके जिम्मे बहुत बड़ी राशि बाकी है और उस राशि को सरकार को जो लोन ऐक्ट पहले बनाया था उसके मुताबिक दिलवा देना चाहिए था। पहले वाले ऐक्ट में यह प्रोविजन है कि 14 दिन के अन्दर कोई मिल मालिक पैसा नहीं देगा तो उस के ऊपर केस

चलेगा । कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर केस चलाये । उनका स्टाक जब्त किया । उनकी बैंक गारन्टी के माध्यम से वसूल करने की कोशिश की । यहां तक कि शुगर मिल मालिकों को रस्सी लगवाकर जेल भेजा । इस तरह से उनसे पैसा वसूल किया । लेकिन यह सरकार इतनी बड़ी धनराशि किसानों की गाढ़ी कमाई प्राइवेट मिल ग्रानर्स के पास पड़ी हुई है, उसको वसूल नहीं करती है । सरकार के कानों में जूं नहो रेंगती है । मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार क्या करनें जा रही है ।

उपसभाध्यक्ष जी, यही नहीं, किसानों की तरह-तरह से लूट होती है । अभी सरकार ने जो मिलें ली हैं उनकी स्थिति के सम्बन्ध में आपको बताना चाहता हूं । एक मैं बिहार राज्य की दो मिलों के बारे में आपको बताना चाहूंगा । मोतीपुर शुगर मिल ने 32 लाख रुपये का पेमेंट

5 p.m. नहीं किया है और सीवान शुगर मिल ने भी, जहां का मैं रहने वाला हूं 11 लाख रुपये की पेमेंट नहीं की है 77-78 से । इधर जब मैंने कलेक्टर से पूछा कि क्यों नहीं पेमेट करते हो, किसान बहुत एजिटेटिड है, इसके लिये मैंने एक रोज धरना भी दिया तो उसने कहा कि गवर्नमेंट पैसा देने की स्थिति में नहीं है मैं क्या कर सकता हूं । आपने इस शुगर इंडस्ट्री को बरबाद किया है। इस जनता सरकार ने अपनी जेबें भरने के लिहाज से पूंजीपतियों पर कोई कड़ाई नहीं बरती है । इनके हाथ में जो फेक्टरी है उनको भी यह जनता सरकार ठीक से चला नहीं पा रही है । एक तो केन शुगर क्रशिंग टाइम पर शुरू नहीं हुआ इस कारण किसान परेशान थे और सारे पूंजीपति भी डर गये थे । जो मिल अक्तूबर महीने में चालू होनी थी वह जनवरी में चालू हुई । इसी तरह से कोई मिल तो फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरु हुई । इन्होंने हो, फेक्टरी ली, सरकार ने जो फेक्टरी ली वह फेक्टरी भी फरवरी के महीने में शुरू हुई । यह जो सीवान शुगर मिल है यह भी फरवरी के महीने में शुरू हुई । सरकार ने जिन मिलों को अपने हाथ में लिया है वे मिलें भी पैसा नही दे रही है । सरकार के जिम्मे बहुत सा पैसा आता है जो नही दिया है । प्राइवेट मिल ग्रानर्स ने जो खरीदा है उसका भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है । किसान आज ताहि-त्राहि कर रहा है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह हमें यह बतायें कि सरकार क्या करने जा रही है ताकि किसानों को केन की प्राइस जल्दी से जल्दी मिल सके । मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने निश्चय किया हैं कि वह बफर स्टाक बनायेगी, बफर स्टाक बनाये यह ठीक है पर कम से कम केन की प्राइस तो उन्हें जल्दी से जल्दी दिलाई जाए इसके लिए वह क्या करने जा रहे हैं ।

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): It is bluffer stock. It is not buffer stock; it is bluffer stock.

श्री रामानन्द यादव : आपने बफर स्टाक बनाने की बात कही है तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उस बफर स्टाक की मोडेलिटी क्या होगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप मिल वालों से किस तरह से लेंगे । आप जो बफर स्टाक बनायेंगे तो क्या केन प्राइस किसानो की पेमेंट के साथ निहित करेंगे ? बफर स्टाक को मिल वालों से अपनी सत्ता के बल पर ले करके वही बफर स्टाक बेच करके किसानों को पैसा चुकता करा सकेंगे, यह मैं

श्री रामानन्द यादव
आपसे आश्वासन चाहता हूं । आप इस तरह की व्यवस्था करें ताकि किसानों की पेमेंट मे आपको भी सुविधा हो सके और किसानों को भी पेमेंट मिल सके । साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राइसिग क्या होगी, स्टाक कैसे लिया जाएगा ये सारी बातें आप हम को बतायें ।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का जो गन्ना लिया जाता है वह अंडर पेमेंट होता है और किसान परेशान हो जाता है । तीन-तीन दिन परचेंजिग सेन्टर पर किसानों को रुकना पड़ता है । किसानों को पैसा नहीं मिल पाता है । इस सरकार पर भी पैसा बकाया रहता है । प्राइवेट मिल आनर्स जितने हैं उनके जिम्मे दुनिया भर का पैसा बकाया रहता है । समय-समय पर आप प्राइवेट मिल आनर्स को काफी छूट देते रहे हैं लेकिन उससे भी किसानों को कोई फायदा नहो हो रहा है । आप जो डवलेपमेट के लिये पैसा देते हैं वह भी वसूल नहीं हो रहा है । इन सब से ऐसा लगता है कि यह सरकार पूंजीपतियों के मुनाफे की सरकार है किसानों के मुनाफे की सरकार नहीं है । यह ढोल बहुत पीटती है कि यह सरकार किसानों की बहुत शुभचिंतक है मगर किसानों के लिये कुछ करना नहीं चाहती है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसानों को जो समय पर पेमेंट नहीं हो रही है उसके लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं । क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि किसानों का पैसा जो आज तक, अप टु डेट बकाया है उसकी जल्दी से जल्दी चुकता करायेंगे ? प्राइवेट मिल ओनर्स से, जो आपने मिल ली हैं उससे और कोआपरेटिवस के माध्यम से जो मिलें चल रहीं हैं उनसे, प्रान्तीय सरकारें जो कोआपरेटिव बना करके मिलें चला रही हैं और जिसका करोड़ों रुपया बाकी है उनसे आप किस तरह से पैसा दिलवाने की व्यवस्था करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं मेरे इन सब प्रश्नों का उत्तर आप दें ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : श्रीमन्, मैं इससे इंकार नहीं करता कि गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि सब नहीं दे दी गई है । मैं यह मानता हूं कि गन्ना उत्पादकों की बकाया की रकम एक बडी धन-राशि है । मेरे पास उसके फीगर्स है । मैं थोड़ी देर मे उनकी चर्चा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि उसको किस तरह से भुगतान करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं । मैं इन सब बातों को बतलाने की कोशिश करूंगा । लेकिन इन सब बातों के पूर्व मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा सारी कठिनाइयों का तो वर्णन किया गया है, लेकिन जो चीनी उद्योग में सफलताएं प्राप्त की गई हैं उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया हैं । अधिक से अधिक चीनी का जो उत्पादन सन् 1976-77 में हुआ था वह केवल 48 लाख टन था । पिछले साल यह उत्पादन 65 लाख टन हुआ। इस वर्ष भी इतना ही होने की संभावना है । यह ठीक है कि कुछ चीनी पहले लेवी के रूप में जरूर सस्ती दी जाती थी, लेकिन उसका अधिकांश भाग ब्लैक मार्किट में चला जाता था और फिर वह चीनी मंहगी बिकती थी । उस समय का हमने वेटेड एवरेज लगाया है यानी उस वक्त जो खुले बाजार में चीनी का मूल्य था और लेवी के रूप में जो चीनी दी जाती थी, उसका मूल्य 3/-रु० 90 पैसे था और आज चीनी का मूल्य 2/-रु० 30 पैसे से 2-रु० 50 पैसे के बीच में है । आज सारे देश में लोगों को चीनी सस्ती मिल रही है और जितनी चाहिए उतनी मिल रही है । पुरानी व्यवस्था

के अन्तर्गत जो भ्रष्टाचार था और जिसके संबंध में मेरा अनुमान है कि वह लगभग सौ करोड़ रुपयों का था और उसी से ब्लैक मनी जैनरेट हो रही थी वह भी समाप्त हो गई है। चीनी उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उत्पादन अधिक हो रहा था और खपत कम हो रही थी। खपत इसलिए कम हो रही थी कि सस्ती दर पर लोगों को चीनी उपलब्ध नही थी। आज चीनी की खपत इतनी बढ़ गई है कि यदि यही खपत की रफ्तार रही तो कोई भी चीनी हमारे पास शेष नहीं रहेगी। अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी के आंकड़े मेरे पास हैं। अगले सात महीनों में यही गति रही तो जो इस साल हमारे देश में चीनी का प्रोडक्शन है उससे हम अगर एक्सपोर्ट भी पूरा कर लेंगे तो कोई भी चीनी बचने वाली नही है। हमारे देश में स्थिति यह थी कि हर साल चीनी का स्टाक बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब वह स्टाक बढ़ेगा नहीं। उस वक्त पांच लाख टन प्रति मास चीनी की खपत हो रही है। पहले यह खपत चार लाख टन की थी। इसको देखते हुए अगर हमारे देश में प्रति माह 5 लाख टन चीनी की खपत होती रही तो 60 लाख टन चीनी की खपत देश में होगी और साढे 6 लाख टन चीनी विदेशों को भेजने का फैसला किया गया है। इस प्रकार से साढे 66 लाख टन चीनी की खपत हो सकेगी, ऐसी हमें आशा है। हमें यह भी आशा है कि चीनी की पैदावार भी 65 लाख टन ही होगी। इसलिए मैंने यह कहा है कि हमें किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है और हम उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। हमारे देश में पिछले कुछ महीनों में चीनी की खपत बढी है और चीनी सस्ती भी बिक रही है और इसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है।

अब मैं उस विषय पर आना चाहता हूं जिसको माननीय सदस्य ने उठाया है। इसमें कोई शक नहीं कि किसानों का बकाया काफी है। हमारे पास इस संबंध में जो आंकड़े हैं वे 15 फरवरी, तक के है। उनके अनुसार सौ करोड़ रुपये सारे देश में बाकी है।

श्री रामानन्द यादव : ये आंकड़े आपके पास कब तक के है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने यह कहा है कि 15 फरवरी तक इस सीजन में सौ करोड़ रुपये बाकी हैं। इसमें जैसा कि बतलाया गया उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे अधिक हैं। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे अधिक चीनी बनती है। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई ? इसका मूल कारण तो यह है कि हमने जो अनुमान लगाया था कि डी-कन्ट्रोल के बाद चीनी के भाव 2.75 पैसे के ऊपर स्थिर होंगे। पर यह न होकर भाव बहुत नीचे उतर गये और इस कारण से फैक्टरियों को गन्ने की कीमत अदा करने की क्षमता समाप्त सी हो गई, कम हो गई और आज वे एक आर्थिक संकट अनुभव कर रहे है। ऐसी स्थिति में सुधार के लिये हमने जो कदम उठाये है उनमें से एक बफर स्टाक बनाने की बात है। यह पूछा गया है कि बफर स्टाक से जो आमदनी होगी क्या वह किसानों की गन्ने की अदायगी में इस्तेमाल होगा ? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह अवश्य ही किसानों के गन्ने की अदायगी में इस्तेमाल होगा।

श्री रामानन्द यादव : किसानों का पैसा जो बाकी है क्या वह आप प्राइवेट मिल वालों से काटकर दे देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने कहा कि उससे जो पैसा जनरेट होगा वह किसानों के गन्ने को कीमत को अदा करने के लिये इस्तेमाल होगा। दूसरा कदम जो हमने उठाया है वह यह है कि इन मिलों की क्रेडिट लिमिट वढ़ाई गई है। इस क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने से उनको सहायता मिलेगी। पुराना नियम यह था कि पिछले दो वर्षों का चीनी का उत्पादन देखते हुए क्रेडिट लिमिट कायम की

[श्री भानु प्रताप सिंह]

जाती थी बैंकों के द्वारा। लेकिन पिछले वर्ष क्योंकि एकाएक बहुत ज्यादा चीनी पैदा हुई इसलिये क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई थी। लेकिन वह एक स्पेशल मेजर था। परन्तु इस वर्ष फिर पिछले साल के 65 लाख टन और उसके पहले के 48 लाख टन को देखकर क्रेडिट लिमिट निश्चित की गई है और जो कम धनराशि मिल पाती थी उसको पुन: बदला दिया गया है और अब पिछले साल के बराबर क्रेडिट लिमिट कर दी गई है ताकि इन मिलों को ज्यादा धन बैंकों से मिल सके। जो अधिक इससे उनको मिलने वाला है उसके लिये भी हिदायतें भेज दी गई है कि उसके एक बड़े अंश का उपयोग केवल गन्ने की कीमत को अदा करने मे ही किया जाय।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी चीनी के भाव फिर थोड़ा बढ़े हैं 15 रुपये तक . . .

श्री रामानन्द यादव : मिल वालों से जो एग्रीमेन्ट किया गया है क्या उसी के कारण चीनी के भाव तो नहीं बढ़ रहे है ? मार्केट में चीनी नही आ रही है क्या इसीलिये भाव बढ़ रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह : कोई भी एग्रीमेन्ट किसी मिल वालों से नहीं है। चीनी पर कोई कन्ट्रोल नहीं है उस समय तक जब तक कि खुले बाजार में भाव उपभोक्ताओं के लिये 2 रुपये 75 पैसे से अधिक न हो तब तक सरकार का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है और न हम डी कन्ट्रोल की हालत में बाजार में उसके भाव नियंत्रित करेंगे। नियंत्रित करेंगे उस समय जब कि जो एक सीमा रेखा खींची गई है उसके ऊपर चीनी के भाव अगर बढ़ जायं तो सरकार निश्चय ही हस्तक्षेप करेगी। लेकिन उस सीमा तक जाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये भी नही है कि आप दोनों बातें एक साथ नही कह सकते है। एक तरफ तो गन्ने की कीमत की अदायगी हर हफ्ते होती रहे और दूसरी तरफ चीनी के भाव भी न बढ़ने पाये। जिस समय इस सदन में 2.75 रुपये प्रति किलो की बात कही गई थी उस समय सारा हिसाब जोड़ करके गन्ने की जो मिनिमम स्टेटयुटरी प्राइस है उसको आधार मानकर उसके ऊपर खर्चा जोड़ कर, एक्साइज ड्यूटी जोड़कर तब ये मूल्य निश्चित किये गये थे। जिस कदर आज 2.75 से नीचे चीनी के दाम है उस हद तक चीनी मिलों को गन्ने की अदायगी करने में कठिनाई है इसलिये हम थोड़ा चीनी के भाव बढ़ने का स्वागत ही करते हैं। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर उस सीमा रेखा से ऊपर चीनी का भाव जायेगा तो सरकार फिर उसमें हस्तक्षेप करेगी। यदि उस सीमा रेखा से ऊपर जाएंगे तो सरकार हस्तक्षेप करेगी और यह भी हो सकता है कि फिर हम सारी चीनी ले लें। लेकिन उस हद तक पहुंचने दें।

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: All these measures have been taken to see that these people, the sugar-mill-owners, who profess to be undergoing some distress because of the huge accumulation of their product, that is, sugar, are helped and you are going to give them relief. That is your interest and we know that. But our interest is to see that the sugarcane growers get back their arrears. At least tell us as to what you are going to do. How long will they wait? You tell us about this. By giving them any number of concessions, you are also creating artificial scarcity. You do everything. But pay them their dues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Please let him complete the answer. You can know about everything only when he completes the answer.

श्री भानु प्रताप सिंह : एक हित का केवल ध्यान नही रखा जा सकता क्योंकि दोनों हित जुड़े हुए हैं। अगर चीनी मिलों को जो आज उनकी परिस्थितियां है उनमें कुछ सहायता नहीं मिलेगी तो वे गन्ने की कीमत नहीं अदा कर सकती।

चीनी उद्योग-पतियों से कोई संबंध नहीं है लेकिन सवाल यह है कि क्या वे इस सूरत में हैं कि गन्ने के दाम को अदा करते रहें। यह बात कहना कि उद्योग-पतियों का हित है। आज हम लोगों को स्वयं भी काफी अनुभव है। केन्द्रीय सरकार के पास भी मिलें हैं, राज्य सरकार के पास भी हैं, सहकारी मिलें भी हैं, सब प्रकार की मिलों का अनुभव हैं और उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो कीमतें गिर गई थीं उन कीमतों पर गन्ने की कीमत अदा करने में कठिनाई थी। हमारा ध्यान उस ओर भी है और जैसे कि मैंने बताया कि हम बफर स्टाक बना कर, क्रेडिट लिमिट बढ़ा कर इस का लाभ उठा कर जो चीनी के मूल्य बढ़े है हमको आशा है कि सीज़न खत्म होते होते स्थिति मे काफी सुधार होगा। सुधार होना प्रारम्भ हो गया है। हमारे पास आंकड़े पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के है जिनसे यह बात जाहिर होती है कि पिछले 15 दिनों मे कुछ स्थिति मे सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए बिहार में 47 फीसदी बकाया था 15 फरवरी, तक, लेकिन पहली मार्च को यह कुछ गिर कर 45 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कुछ गिरावट आई है और पंजाब में भी जो पहले 35 प्रतिशत थी अब 30 प्रतिशत हो गया है। लेकिन यह भी सब संतोषजनक मैं नहीं मानता हू।

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: But these are all only percentage figures.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: You will get a chance to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Let him complete the answer first.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: You will get an opportunity.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: The percentage figure is nothing. You speak in absolute terms.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): No, please. Let him complete the answer.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: All right, all right.

श्री भानु प्रताप सिंह : यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं जो परिस्थितियां है उनसे संतुष्ट नहीं हूं। सारे उपाय किए जा रहे है और माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस के काल में तो उनकी मोटर जब्त हो जाती थी और सम्पत्ति जब्त हो जाती थी। लेकिन हम तो उससे भी बहुत आगे है हम तो पूरी फेक्टरी ले लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि फेक्टरियों के बन्द होने के 14 दिन बाद हिसाब-किताब, लेखा-जोखा किया जाएगा और जिनका 10 प्रतिशत से ज्यादा बकाया होगा उनको ले लेने की कार्यवाही की जाएगी। यह 14 दिन बाद मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कानून के अन्तर्गत 14 दिन तक ...

श्री रामानन्द यादव : फेक्टरी बन्द होने के 14 दिन बाद नहीं केन परचेज़ करने के 14 दिन के अन्दर उनको पेमेंट करना होता है।

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: But the law is otherwise. Notice is required.

श्री भानु प्रताप सिंह : कानून वही जो आप बतला रहे है। एक तो बीच में हस्तक्षेप करना किसानों के हित मे नहीं है। अगर बीच में हस्तक्षेप करें और फेक्टरी बन्द रहे तो किसानों का नुक्सान होगा। दूसरी बात मै बतला चुका हूं कि हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि रोजाना की रोजाना हमको सूचना मिलती रहे कि कितना भुगतान किस फेक्टरी ने कर दिया और कितना बकाया है। हमको 15 दिन तो आंकडे इक्टठे करने मे लग जाते हैं। इसलिए मैं आपकी भावनाओं से सहमत है कि किसानों के गन्ने की मूल्य की अदायगी करनी पड़ेगी और कराई जाएगी लेकिन उसे इस ढंग से न करा कर जैसे कि आपका सुझाव है कि हस्तक्षेप करें। हम अधिक से अधिक

[श्री भानु प्रताप सिंह]

दबाव भी डाल रहे है जिससे परिस्थितियों को अनुकूल बना सकें और बना भी रहे हैं। लेकिन इतना फिर भी साफ करना चाहता हू कि एक सीजन खत्म होने के बाद लेखा जोखा किया जायगा और जिस फैक्टरी के ऊपर बहुत अधिक बकाया होगा, उसको उस कानून के अन्तर्गत लेने में कोई संकोच नही किया जायगा जो पास हो गया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि वह इससे संबंधित नहीं है। इस सदन में और सदन के बाहर भी बार बार कहा जाता है कि गन्ने की कीमत लकड़ी के बराबर नहीं है। श्रीमन्, गन्ने में कम से कम मैं समझता हूं कि 85–86–87 फीसदी पानी होता है और उसकी तुलना सूखी लकड़ी से करना केवल भाषण के लिए ठीक है, भड़काने के लिए ठीक है। परन्तु अगर आप सोचें ....

श्री रामानन्द यादव : खर्च कितना पड़ता है।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह बात भड़काने के लिए कह सकते हैं। अगर मान लीजिए लकड़ी के बराबर नहीं मिलता है तो लकड़ी के लिए ही क्यों नहीं बेच देते हैं। यह तर्क बहुत इस बात का परिचायक नहीं है कि गहराई से सोचकर बातें करते हैं।

श्री रामानन्द यादव : क्या आप किसानों का जो बकाया पैसा है वे अगर समय पर नहीं देते हैं नियम के अनुसार तो उस पैसे पर प्राईवेट मिल वालों से सूद दिलवायेंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह : यह कानून है। एक बार स्पष्ट रूप से बता दूं कि कानून का पालन होगा। उसमें अंतर नही पड़ने वाला है।

श्री रामानन्द यादव : सूद के साथ मिलेगा।

श्री भानु प्रताप सिंह : जी हां सूद के साथ मिलेगा।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, दो तीन प्रश्न मुझे करने हैं .... (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): संक्षेप में करिये, चालीसा नही (*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय: : क्या सरकार की जिम्मेदारी.... (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आप सवाल पूछिये उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए।

श्री कल्प नाथ राय : क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि किसानों को उचित मूल्य दिया जाय। यदि मिलें नहीं देती हैं तो क्या सरकार उचित मूल्य की गारंटी नही कर सकती ?

2– क्या भारत में शुगर का कन्जम्प्शन इन्टरनेशनल स्टेंडर्ड पर कैपिटा से कम नहीं है ?

3– क्या गन्ना किसानों का बकाया 31–1–79 तक 728–04 लाख रुपये नहीं था ? आपने ही उत्तर दिये हैं राज्य सभा में वही मैं पढ़ दे रहा हू।

4– क्या सरकार जापान की भांति किसानों को उनके द्वारा पैदा की हुई चीजों को सब्सिडी देकर उचित मूल्य नहीं दे सकती है ?

5– क्या सरकार आलू, गन्ना, कपास का उचित मूल्य घोषित कर किसानों को वही मूल्य देने की गारंटी नहीं दे सकती है ताकि उत्पादन बढ़े ?

6– वर्तमान परिस्थिति में क्या सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ?

7– क्या चीनी मिल मालिकों को पुनः इस साल एक करोड़ रुपये की एक्साईज रिलीफ नहीं दी गयी है ? आठवीं बात मुझे पूछनी है कि पिछली सरकार 2.25 रुपये पर

400 ग्राम चीनी गांवों में प्रति व्यक्ति को देने की गारन्टी देती थी, आपने कहा कि हम इतना दे रहे हैं, मैं जो बात कह रहा हूं कि 2.25 रुपये पर 400 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति को सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से दी जाती थी, क्या वह ठीक नहीं है भानु प्रताप सिंह जी खुद किसान है और किसानों में उनकी दिलचस्पी है तथा उधर महादेव वर्मा जी को भी जरूर 2-1 बातें कहनी चाहिएं इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जब सत्ता में आये तो उसके पहले जो भी सरकार थी वह 12-13 रुपये क्विटल गन्ने का दाम गारेंटेड रूप से पूरे देश के किसानों को देती थी। पर एकड़ कास्ट आफ प्रोडक्शन किसान का बढ़ा है, यानी अगर एक एकड़ गन्ना पैदा करने में कितनी कास्ट किसान की लगती थी, उससे कास्ट बढ़ी है। दूसरी बात, उस जमाने में आलू का दाम आप देख लीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव) : आलू पर मत जाइये। गन्ने पर आइये।

श्री कल्प नाथ राय : फिर किसानों का आलू भी मिट्टी के दाम, यानी आज रू० 12 क्विटल फर्रुखाबाद के बाजार में आलू है, कपास रू० 500 क्विटल जो था वह रू० 225 क्विटंल, तो जितने भी कैश क्राप्स हैं किसानों के, जनता सरकार के आने के बाद उन सभी चीजों के दाम बिलकुल आधे दाम पर हो गये और कास्ट आफ प्रोडक्शन उनका बढ़ गया। हम कोई आरोप सरकार के ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं लगाना चाहते। लेकिन मैं आपसे यह जरूर जानना चाहता हूं कि आखिर आपने एक बात कही कि कांग्रेस के जमाने में 48 लाख टन गन्ना पैदा होता था और अब 65 लाख टन हो गया है। इसलिये सस्ता हो गया है। पर यह जिम्मेदारी किसकी है? आखिर यह आपकी जिम्मेदारी है, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह अपने सेक्रिटेरिएट अपने विभिन्न कृषि मंत्रियों से पूरे देश का सर्वे करवा कर जाने कि इस साल हिन्दुस्तान में कितने लाख टन गन्ने का उत्पादन होने की सम्भावना है, इस साल देश में कितने कन्जम्पशन की सम्भावना है और फिर जो बाकी बचता है उसको किस तरह से विदेशी बाजार में बेचें या बफर-स्टाक उससे बनायें। मगर अपने किसान के मूल्य की गारण्टी करे। यह किसकी जिम्मेदारी है? यह लाजिक देना कि क्योंकि इतना ज्यादा हो गया, ठीक नहीं। मैं आपसे बिनती करता हूं ....

एक माननीय सदस्य : कुदरत की मेहरबानी है कि इतना ज्यादा गन्ना हो गया।

श्री कल्प नाथ राय : यह मैं नहीं मानता। जिसकी भी सरकार होती है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जनता पार्टी की हो, उसकी जिम्मेदारी होती है। केन्द्र में मंत्री, विभिन्न राज्यों में, मंत्री, कृषि सचिव, जायन्ट सैक्रेटरी, एडिशनल सैक्रेटरी बने हुए हैं और उन पर करोड़ों रुपया इस शासन का खर्च हो रहा है। आखिर किस बात के लिये? उनको देखना चाहिये कि देश में गन्ने का उत्पादन इस साल इतना होगा, इतने लाख एकड़ में गन्ना बोया गया है, इतनी मुल्क की कन्जम्पशन और बढ़ेगी और इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा और ऐसी स्थिति की हम कैसे गारण्टी करें कि जो कोआपरेटिव सैक्टर की मिलें हैं और जो गवर्नमेंन्ट की मिलें हैं उन मिलों में जो आपने पैसा डिक्लैयर किया, अग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, स्टेट गवर्नमेंन्ट, पूंजीपतियों से मिल कर जो तय किया कि हम दस रुपये प्रति क्विटंल देंगे या ग्यारह, या बारह रुपये देंगे, तो कोआपरेटिव सैक्टर में और गवर्नमेंट के मिलों में तो वह रुपया मिले लेकिन जैसे मान लीजिये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपकी नन्दगांव शूगर मिल है, रछड़ा शूगर मिल है, छटिहार शूगर मिल है, उनमें तो आपके द्वारा जो रुपया कहा गया कि इतना रुपया मिले, वह तो मिले, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की प्राइवेट मिलें जिनकी संख्या करीब 69-70 है, वहां के किसानों का गन्ना तो मिट्टी के दाम से भी बदतर हो गया।

[श्री कल्प नाथ राय]

आपकी सरकार की इस गारण्टी के बाद, सरकार की इस घोषणा के बाद, रेडियों, समाचार-पत्रों के माध्यम से कि हम दस रुपये गन्ने का मूल्य देंगे, इसके बावजूद भी प्राइवेट मिल मालिकों ने गन्ने का मूल्य नही दिया और फिर इन प्राइवेट मिल मालिकों की न चीनी मिलों को जिन्होंने तीन-चार रुपये प्रति क्विटंल भी गन्ना नहीं खरीदा और मार्केट में सलम्प मचा दिया, ऐसी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करना चाहिये ? यदि राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये, तो क्यों नहीं इनको कोआपरेटिव सैक्टर में लाना चाहिये और क्यों इनकी व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिये ?

मैं आपसे बिलकुल किसानों की तरफ से, पार्टी का न बन कर, हाथ जोड़ कर यह बिनती करता हूं कि आपके इरादों में पवित्रता होते हुए भी, आपका यह दिमाग होते हुए भी कि हम किसान के लिये कुछ करेंगे, किसानों के जो कैश क्राप्स है, चाहे वह ज्यूट हो, बंगाल के किसानों का ज्यूट हो, या हरियाणा, पंजाब के किसानों का कपास हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना हो, या फर्रुखाबाद के किसानों का आलू हो, उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है और मूल्य इतना नीचे गिर गिया है कि चार, छः, आठ या दस एकड़ वाला किसान तो बिलकुल बर्बाद हो गये हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपसे प्रार्थना करता हू—आप खुद भी किसान है, 100-200 एकड़ के किसान है मगर किसान है ; आप गरीब किसानों की स्थिति का अंदाजा कर सकते हैं क्योंकि आपको कास्ट आफ प्रोडक्शन का ज्ञान है। इसलिए मैं विनती करूगा, आप इस प्रश्न को दलगत न बना कर वल्कि एक राष्ट्रीय प्रश्न बना कर, जीवन-मरण का प्रश्न बना कर अपने मंत्रालय द्वारा हल करेंगे और कम से कम जो एरियर्स बकाया हैं उनको एक निश्चित अवधि के भीतर दिलवाने की कोशिश करेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल यह है कि जो मिलें बिहार और यू पी० में हैं उनको माडर्नाईज करने का क्या कार्यक्रम आपके पास है और कब तक वे मिलें जो सरकार के मातहत आ गई हैं कम्प्लीट्ली माडर्नाइज हो जाएंगी ? दूसरे, जिससे वहां के मजदूरों के सबंध अच्छे हों इसके लिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन जिसको कहते हैं, इस तरह का कोई कार्यक्रम आपके पास है ? यदि है तो क्या है, यदि नहीं तो क्यों नही है ?

तीसरा और आखिरी सवाल है कि गन्ने की खेती अभी तक वैयक्तिक खेती के आधार पर है। तो जिससे कोआपरेटिव्ह फार्मिग का क्षेत्र बढ़े, सहकारी ढंग से खेती हो, इस के लिए आप क्या सोच रहे है ?

श्री महादेव प्रसाद वर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो यह कि किसानों को भी और आप को भी परेशानी इस बात में है कि किसान के पास कोई आल्टरनेटिव्ह नहीं है जब कि चाहे सरकारी नौकर हो या मिल मजदूर हो या पूंजीपति हों, कारखानेदार हों, उनको तो आप्शन है हड़ताल भी कर सकते है काम बंद भी कर सकते हैं, कठिनाई भी पैदा कर सकते है, एक दिन में सरकार को लेने-देने का भाव बता सकते है। लेकिन किसान को परेशानी है कि वह हड़ताल नही कर सकता है। कैसे हड़ताल कर सकता है ? उसकी जीविका का साधन ही खेती है, वह किस से हड़ताल करे—गन्ने से करे, कपास से करे, मूंगफली से करे ? उसके जीवन का आधार है। उसकी बेकसी का, जिसको आप कहते है जागरूक समाज है, बेशरमी से फायदा खा रहा है। मेरा सवाल यह है कि औरों के पास तो आल्टरनेटिव्ह है क्योंकि वह जानते हैं हड़ताल करते है तो उन का कुछ नहीं बिगड़ता है, वह तो महीनो की तनख्वाह पा रहा है, तो वह किसान हड़ताल कैसे करेगा ? उसको अपनी मजदूरियों से बचाने

के लिए आपके पास क्या प्लान है ? मिसाल के लिए गन्ना है, रूई है, मूंगफली है, आलू है—इन पैदावारों के लिए उन को कोई आल्टरनेटिव्ह आप दे सकते हैं ? उन के गन्ने से कोई और चीज़ कर सकते हैं या नहीं ? इस तरह का कोई रिसर्च वर्क बैठा सकते हैं कि किस तरह से आलू का, गन्ने का, कपास का, मूंगफली का उपयोग अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं ? इस के लिए एक लम्बा प्लान आपको सोचना पड़ेगा । देश की दौलत नहीं बढ़ेगी जब तक खेती की दौलत नहीं बढ़ती है । खेती की दौलत की व्यथा यह है कि ज़रा सी मे किसान तो पिट जाता है । तो मुल्क गरीबी के दायरे से उठ नहीं पाएगा जब तक ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा अगर मुल्क का प्रोडक्शन घट जाएगा तो गरीबी नहीं हटेगी । इसलिए ऐसे रिसर्च की जरूरत है जो दो-तीन साल के भीतर गन्ने के ऊपर या आलू के ऊपर या मूंगफली के ऊपर या जितनी भी इस तरह की चीजें हैं उनके बारे में कोई दूसरा आल्टरनेटिव्ह दे सकें । जैसे कि अगर गन्ने से शुगर पैदा करके फायदा नहीं होता है तो गन्ने के बारे में यह डाइरेक्शन हो कि उसका कैसे दूसरे ढंग से उपयोग हो सकता है, शुगर से न सही दूसरे तरीके से ।

दूसरा सवाल यह है कि खाली यह कहने से कि किसान को दाम मिल जाए, आप नहीं दे सकेंगे क्योंकि उपभोक्ता चीजें जो हैं, हम जानते हैं, 50–60 फी सदी जो बजट बनता है वह केवल खाने की चीजों से संबंधित होता है इसलिये वह जिन्स को हर एक देखता है, गुड़ को हर एक देखता है, कितना उठ रहा है ? इसलिए वह चिल्लाता है लेकिन कभी सरकार ने भी, पिछली सरकार ने भी, यह ध्यान नहीं दिया कि किसान जिन चीजों को खरीदता है उनको कंट्रोल करने का, उसकी कीमत तय करने का आपने क्या प्रयास किया है ? आप 10 रु० क्विटल गन्ने का दाम दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब उसको 10 रु० के दाम सन् 1960 में मिला तो कपड़ा अगर उस वक्त उसको डेढ़ रु० गज मिलता था तो आज वही कपड़ा उस को 6–7 रु० के भाव मिल रहा है । वह दस रुपया कहां गया । आप गन्ने का दाम बढ़ा कर, आलू का दाम बढ़ा कर देहात को खुश नहीं कर सकेंगे । यह असंभव है । उस को खुश करना संभव इस तरह से है कि जिन चीजों का वहां कंज्पशन होता है उन चीजों का दाम आप को घटाना चाहिए । एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप का है । आप उन को सुविधा देने की बात करेंगे, लेकिन उस को सुविधा देने की बात के साथ यह बात जुडी हुई है । 1962 में जो भाव गल्ले का था उस के मुकाबले में आज किसान के गल्ले का दाम बहुत कम बढ़ा है लेकिन और दूसरी चीजों की कीमतें दुगुनी, तिगुनी और चौगुनी हो गयी । सीमेंट का दाम ढाई गुना हो गया । लोहे का दाम आप को ताज्जुब होगा 175 रुपये से बढ कर पता नही कैसे वह 300 रुपये में बिक रहा है । कैसे किसान जिन्दा रहेगा । आप भले ही उस के गेंहू का दाम 110 रुपये से बढा कर 120 रुपया कर दें, लेकिन वह तो उस के बाद भी मर जायेगा । तो आप को और आप की सरकार को यह सोचना पडेगा कि जो चीजें उस के ऊपर लादी जा रही हैं, जिन के कारण वह लुटा जा रहा है उस को आप कैसे कंट्रोल करे । कास्ट आफ प्रोडक्शन कारखानों में एक पंपिग सेट की 7 या 800 रुपया है लेकिन बाजार में वह बिकता है साढ़े तीन हजार का । एक और मिसाल दे दूं । जीप जो पेट्रोल से चलती है उस का दाम बाजार में 40 हजार रुपया है, लेकिन जो जीप डीजल से चलती है उसका दाम 56 हजार रुपया है । इंजन पेट्रोल वाली जीप का ज्यादा अच्छा है, फिर 56 हजार रुपया डीजल की जीप का दाम क्यों है । तो आप देखेंगे कि

जिन चीजों की किसान को जरूरत है उन के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं और आप ऐसा होने पर किसान को राहत नहीं दे पायेंगे । तो जहां आप उस की उपज के दाम बढ़ाने की बात सोचते हैं वहां आल्टरनेटिव आप को सोचना है और उन चीजों के दामों को कंट्रोल करना है कि जिन के कारण आज किसान लूटा जा रहा है । क्या कृषि विभाग की तरफ से आप सरकार को ऐसा कोई अप्रोच करने का विचार रखते है कि जो किसान की जरूरत की चीजें हैं उन के दामों को सरकार किसी तरह से कंट्रोल करे । यह आप का काम तो नहीं है लेकिन आप के लिये यह जरूरी है और मैं चाहता हूं कि आप इस के लिये सरकार पर दबाव डालें ।

श्री प्रेम मनोहर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहूंगा । गन्ने की पैदावार के साथ साथ मोलैसेज का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और मोलैसेज का उचित दाम मिल मालिकों को नहीं मिल रहा है । तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि जिस से शीरे का दाम, उचित दाम मिल मालिकों को मिल स[के] और मिल मालिकों की प्राफिटेबिलिटी उस के कारण बढ़ सके और इस समय विशेषतया जो शराब बन्दी हो गयी है उस के कारण यह शीरा सरप्लस हो जाएगा तो क्या आप की मिनिस्ट्री उस के लिये कोई योजना बना रही है कि उस का किसी दूसरे रूप में प्रयोग किया जा सके ? और दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में 50 परसेंट से अधिक क्शर आज बद हैं । तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि किसी प्रकार यह क्शर जो बंद है आज वे चालू किये जा सके ?

SHRI R. M. DESAI (Karnataka): Sir, having heard of what the Government has done, I have got two points to make. The first one is, I have heard that the Government is taking over sick mills in U.P. or wherever they are. Those are sick mills probably due to maladministration or they are not economically viable or they might not be paying to the farmers or whatever be the reason. In such cases whether the Government has made up its mind to take over these mills, I would like to know what steps the Government is going to take to make payment to the cultivators if there are any arrears left by such mills.

Secondly, as regards Karnataka, many of these problems do not arise there. Because the point of payment of dues is satisfactory in Karnataka than anywhere else. But still some of the factories are manipulating or mismanaging the affairs. For instance, they are collecting development cases from the farmers which they have got to remit to the Government immediately which they have not done for at least a few years. Some of them are misutilising the funds. What action the Government would be able to take against such of these mills which are misutilising the funds in this manner? Secondly, as far as molasses is concerned, as has been pointed out by my colleague, the production of molasses has been so high that there is no place to store it by some of the factories. The situation is so bad that practically, the atmosphere is getting fouled. There is no arrangement. They have got to approach the Central Government for selling it, between the States or something like that. Because prohibition is in the offing this has not been done, has not been utilised properly. If the molasses can be converted into something else which can be used for industry, why should it not be encouraged in that manner also? These points are very eminent and some other points, which have been raised by my colleagues, have, of course, been answered ably by the hon. Minister. On many matters, I agree with the Government. But as regards these two or three things, I am eager to know what the Government has got to say.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: Sir, it has been pointed out that of the cane growers, 66 per cent are people who have less than two acres and who are poor peasants. Now, it is clear, and the Government is also in the know of the fact, that many of these cane-growers have a lot of money to get from the mill-owners. Now, to see that they get it easily, there was a law passed in the last Session of Parliament and it is being implemented. Of course, the implementation is tardy. As far as our information goes, about Rs. 10 to Rs. 11 crores are still outstanding against the mill-owners. This may be even much more. We do not know. Whatever it may be, the poor peasants are to get a very big amount from the mill-owners. This is an admitted fact. The Government is also to get a big amount from these people. In the realisation of this money which is due to the Government as well as to the poor peasants, what has been done? This has become an impossibility with this Government also, as it was with the earlier Government. Mr. Kalp Nath Rai was pleading for the earlier Government. But even in this, the Tamil Nadu State was the worst State where the canegrowers were not paid for 13 to 14 years. The arrears were there. The State Government could not make any efforts to pay their dues. This has been the feature for a pretty long time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV): Kindly put your question.

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO: My question is this. The poor peasants are involved in this. A huge amount is remaining with the millowners. Government money is remaining with them. To get this, to have this realised, has become difficult with the Government for obvious reasons. In the background of all these circumstances, would the Government agree to do this? They are saying that they will see that these commodities are put to other uses, that they will give them a proper price and so on. These are all old things, stale things. We have heard these things. These are pretty old things. Some experiments are going on. I do not know. But if you are really interested, the immediate thing you can do is this. Would you agree to not realise a paisa from those people who have these dues to get? This is my question. This may be Government dues or co-operative dues or anything else. Would you say that you will not require a paisa till the payment is made? Would that be your responsibility? Secondly, would you also pay them sufficiently? Now, you are giving credit facilities and so on to these mill-owners. You give them more money because you think that they will be giving you some portion out of this credit which they get from these financial institutions. This was your expectation. But these people are not such that they will do it. They will take all this money and they will use it for something else. They have been doing it for so many years. You have also fallen a prey to them now. Be giving. You are so much enamoured by their sweet talk. That is why you give more to them. Be giving. The earlier Government was doing it. You are also doing it, by giving. But would you also give more loans to these poor agriculturists so that they make payment. These are the two things I would like to know. You will not realise it from them until you are able to realise from the millowners and pay them the Government dues, the co-operative dues. So, these are the two things. At least, you reply to them.

श्री भानु प्रताप सिंह : श्रीमन्, सदन के माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है। मुझे भी चिन्ता है कि किसानों की बहुत बड़ी धनराशी बकाया के रूप में है लेकिन पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की चिन्ताएं यहां व्यक्त की गई थीं। उस समय 80 करोड़ रुपया या 83 करोड़ रुपया, मुझे ठीक से याद नहीं, बहरहाल इसी के लगभग बकाया था

[श्री भानु प्रताप सिंह] और मैंने आश्वासन दिया था कि यह बकाया बहुत जल्दी कम किया जाएगा। उस बकाया को हम पूरा तो नहीं करीब-करीब साफ करने में सफल हुए हैं। फिर भी मुझे आशा है इस साल का जो बकाया हो रहा है उसको भी सीजन समाप्त होने के थोड़े समय के अंदर हम कम कर पायेंगे। इतना कम कर लेंगे कि जो रिजनेबल होगा और दो-चार परसेंट के अंदर आ जाए। यह तो एक जनरल एश्योरेंश की बात हुई।

और जो प्रश्न पूछे गये हैं उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि किसानों को उनके गन्ने की कीमत दिलाये अगर यह जिम्मेदारी न होती तो मैं ये सारी बातें क्यों कहता। इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया गया है और गन्ने का न्यूनतम मूल्य भी निश्चित किया गया है जो उत्पादन मूल्य से जरूर ऊपर है। इस जिम्मेदारी को निभाया जाएगा।

एक प्रश्न यह पूछा गया कि क्या इस 65 लाख टन के खपत होने पर इस देश में चीनी की खपत और दूसरे देशों की तुलना में कम नहीं है? इसका मैं उत्तर यह देना चाहता हू कि अपना देश गरीब है और इसलिये सभी चीजों की प्रति व्यक्ति खपत कम है? आप चीनी के बारे में ही क्यों पूछते हैं, आप कपड़े के बारे में पूछ लीजिए, मोटर के बारे में पूछ लीजिए या टेलीफोन के बारे में पूछ लीजिए...

श्री कल्प नाथ राय: क्योंकि चीनी के बारे में बहस हो रही है।

श्री भानु प्रताप सिंह : आप थोड़ा सा ध्यान से सुने और मुझे कहने का मौका दें तो मैं बताना चाहता हू कि केवल चीनी ही नहीं है देश में जो केवल मीठा पदार्थ है गन्ने से गुड़ भी बनता है, खंडसारी भी बनती है, अगर इस सब की खपत भी जोड़ ली जाए चीनी की खपत के साथ तो भी अपने देश में प्रति व्यक्ति खपत संसार की औसत से कम नहीं है।

श्री कल्प नाथ राय : कम है या नहीं है?

श्री भानु प्रताप सिंह : कम नहीं है यही तो मैं कह रहा हूं। आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि गुड़ और खंडसारी सब मिलाकर संसार की औसत खपत से भारत की औसत खपत कम नहीं है प्रति व्यक्ति।

एक बात और माननीय सदस्य ने पूछी कि आपने जो गन्ने की कीमत निश्चित की है वह कीमतें कोआपरेटिव वाले तो दे देंगे सरकारी मिलें भी दे देंगी लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं इन्होंने लूट मचा रखी है यह नहीं देंगे। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हू कि कौन सी वह प्राइवेट सेक्टर की मिलें है जिसने निर्धारित दर पर गन्ने की कीमत अदा न की हो। अगर एक भी मिल आप बता दें तो मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। हां यह बात मुनासिब हो सकती है कि 15-20 दिन या तीन हफ्ते या एक महीने गन्ने की कीमत मिल वालों ने अदा न की हो लेकिन जो कुछ अदा किया वह निर्धारित मूल्य से बाहर किसी मिल ने अदा किया ऐसा सम्भव नहीं है। अगर ऐसा कोई केस आपके पास है और आप उसका नाम मुझे बता देते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। वैसे ऐसा सम्भव नहीं है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह विषयान्तर होगा, लेकिन चूंकि इसकी चर्चा की गई है, इसलिए मैं कुछ बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह कहा गया है कि हमने आलू और रूई की दुर्दशा कर दी। मैं इस सम्बन्ध में आपकी इजाजत से जरा विस्तार से कहना चाहता हूं। इस दुर्दशा का कारण यह है कि हमको विरासत में जो प्रबन्ध मिला वह आज की सरप्लस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। पहले जो भी व्यवस्थाएं थीं और जो भी शासन की बरकत थी। (*Interruptions*) आप जरा सुनिये। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हू कि पहले शासन की बरकत ऐसी थी कि हर चीज की कमी हो जाती थी और इसलिए सारी सरकारी व्यवस्था इस कमी का मुकाबला करने के लिए होती थी।

अब आप कहते हैं कि हम इस प्रकार का तर्क क्यों देते हैं ? मैं यह तर्क इसलिए देता हूं कि किसी भी व्यवस्था को बदलने में कुछ समय लगता है। माननीय श्री वर्मा जी ने यह प्रश्न उठाया कि क्या आप गन्ने की खपत दूसरे तरीकों से नहीं कर सकते हैं और क्या आप आलू की खपत दूसरे तरीकों से नहीं कर सकते हैं ? मैं कहता हूं कि इन चीजों की खपत दूसरे तरोकों से भी हो सकती है। लेकिन रिसर्च में कुछ वक्त लगता है। एक दो साल में रिचर्स नहीं हो जाती है। अगर उसके कुछ नतीजे निकल भी आए तो फैक्ट्रियां लगाने मे समय लगता है। पहले शासन की जो व्यवस्थाएं थीं वे सब कमी का मुकाबला करने के लिए बनी थीं। हमसे यह पूछा जाता है कि आप किसानों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके जमाने में किसानो के साथ कैसा व्यवहार किया गया था ? कौन से भाव पर गेहूं खरीदा गया था और कौन से भाव पर धान खरीदा गया था और वह जबर्दस्ती जेल भेजने की धमकी देकर खरीदा गया था। इस सारी परिस्थिति को हमें बदलना था। इसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वह नहीं हुई।

कुछ बातें फौरकास्टिंग के बारे में भी कही गई हैं। ये लोग हम से पूछते हैं कि ज्यादा पैदावार क्यों हुई। उस जमाने मे गन्ना 12 रु० और 13 रु० में बिकता था, अब यह क्यों उस दाम पर नहीं बिक रहा है ? मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उस वक्त चीनी का दाम ज्यादा था और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का मूल्य 700 पौंड प्रति टन था जिसका मूल्य भारत में 10 रु० प्रति किलोग्राम से ज्यादा होता है। आज भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का भाव सौ पौंड के इर्द गिर्द है। यह कभी 103 पौण्ड हो जाता है तो कभी 99 पौंड या 98 पौंड हो जाता है। लेकिन 100 पौण्ड के आस-पास रहता है। क्या आप को इन दोनों परिस्थितियो मे कोई अन्तर नहीं दिखाई देता है। उस वक्त चीनी विदशो में भेज कर मुनाफा जरूर कमाया जाता था, लेकिन आज हम जो चीनी विदेशों में भेज रहे हैं उसमें घाटा उठा रहे हैं। मैंने यह निवेदन किया है कि उस वक्त चीनी का वेटड एवरेज 3 रु० 90 पैसे था और उस वक्त आपने गन्ने का मूल्य 12 रु० या 13 रु० दिया। इसमें आपने कोई कमाल नहीं कर दिया। आज ढाई रुपये मूल्य में गन्ने का भाव 10 रु० से 11 रु० और 12 रु० के बीच मे चल रहा है।

श्री इब्राहीम कलानिया (गुजरात): सन् 1970 में क्या मूल्य था, यह आप देखिये।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं तो अभी निकट की बात कह रहा हूं। इस वक्त जो चीनी का मूल्य है उससे गन्ने का मूल्म कम नहीं है। आप कहते है कि आपने गन्ने की खेती को कण्ट्रोल क्यों नही किया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं। कि जब यह सरकार शासन मे आई तो उस वक्त तक गन्ना बोया जा चुका था। उसको तो हम रोक नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी हमने पिछले साल देश के किसानो को इस सदन के माध्यम से और उस सदन के माध्यम से तथा रेडियो, समाचार-पत्रों से यह चेतावनी दी कि आप गन्ने की खेती कम करो। लेकिन जो गन्ना बोया जा चुका था उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गन्ने की खेती ऐसी नहीं है कि बटन दबा कर इसको हल कर दिया जाय। एक बार गन्ना बोने और काटने के बाद फिर उसकी पेड़ी भी आ जाती है। साल भर में फसल तैयार होती है ? हमारे देश में किसानों की संख्या इतनी अधिक है कि किसी भी आदेश को रेगुलेट करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल होता है। और सबसे आसान तरीका फिर यही हो जाता है कि थोड़ी कीमतें गिरा दी जाय जिससे किसान कुछ कम बोये। लेकिन वह भी इतने नहीं गिराये गये जिससे कि किसान को कास्ट आफ प्रोडक्शन न मिले। आज की

[श्री भानु प्रताप सिंह]

परिस्थितियों में जो कुछ अधिक से अधिक सम्भव है वह किया गया है। आप कहते हैं कि राष्ट्रीय करण आप करेंगे क्या? मेरा जवाब है कि नहीं करेंगे इस उद्देश्य से करेंगे? जो आज कठिनाई है उस कठिनाई को हल करने के लिये नहीं करेंगे। इसके दो कारण है। हमारे पास भी मिले हैं, राज्य सरकारों के पास है। उनके राष्ट्रीयकरण से समस्या का कोई हल निकलता नहीं है। यह है एक बात। दूसरी बात श्रीमन् यह है कि आप लोगों ने जो राष्ट्रीयकृत बहुत से कारोबार इस देश में चालू कर दिये थे और जिन पर 12800 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है उसमें 14 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तो क्या अब हम उसी गलती को आगे भी करते चले जायं। ऐसा करने के लिये हम तैयार नहीं है। लेकिन यह जरुर है कि अगर कोई मिल अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं निभायेगी तो उसको ले लेने में हमको कोई संकोच नहीं होगा जैसा कि हम कर भी रहे हैं। लेकिन नीति के रूप में हम राष्ट्रीय-करण को स्वीकार नहीं करते।

एक प्रश्न पूछा गया है बिहार के बारे में कि मिलों को मार्डनाइज करेंगे। कैसे मार्डनाइज करेंगे? श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना है कि वे मिलें अभी राज्य सरकारों के ही अधिकार में है और जब तक वे उनके अधिकार में हैं तो उनके मार्डनाइजेशन की कोई योजना यदि बनेगी तो वह बिहार सरकार द्वारा ही बनायी जायेगी।

एक प्रश्न यह भी पूछा गया कि गन्ने के किसान छोटे छोटे हैं तो सहकारी खेती कराकर और पैदावार में वृद्धि करके क्या उनकी माली हालत को सुधारा नहीं जा सकता है? श्रीमन्, अनुभव यह बताता है कि सहकारी खेती से पैदावार बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। महाराष्ट्र में बहुत सारे जो बड़े बड़े प्राइवेट मिलों के फार्म थे, सीलिंग होने के बाद वे सब सहकारी फार्म हो गये है और वहां पर पैदावार पहले के मुकाबले में कुछ गिरी है बढ़ी नही है। अब एक आलटरनेटिव की बात हमारे माननीय वर्मा जी ने निकाली। हमारा ध्यान पूरी तरह से उस ओर है और जो कुछ भी सम्भव होगा हम करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि यह अलटरनेटिव प्रोसेसिंग इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता।

श्री प्रम मनोहर : पैटर्न आफ क्राप्स को बदलने का विचार है क्या ?

श्री भानु प्रताप सिंह : इस बारे में लेटेस्ट थिंकिंग यह है कि एक फ्रेन्स कम्पनी है जिसने एक कागज भेजा है। जिसमें कहा है कि गन्ने के रस से चीनी बिल्कुल न बनाई जाय। उसमें सिगंल सेल आफ प्रोटीन होता है, उससे प्रोटिन बनाया जाय और कागज बनाया जाय तो इससे अधिक गन्ने से पैसा मिल सकता है। यह हिसाब-किताब उन्होंने भेजा है। लेकिन अभी उसमें यह कठिनाई है कि यह जो सिंगल सेल आफ प्रोटिन है, वैसे अपने देश में दालों में भी प्रोटिन होता है, क्या उसको इस देश के लोग ग्रहण करेंगे, उसको पसन्द करेंगे? यह सारा मसला इतनी आसानी से हल नहीं हो सकता है।

श्री महादेव प्रसाद वर्मा : एक चीज़ मैंने देखी है कि गारा जो दीवाल पर लीपते है मिट्टी के साथ उसे दीवाल पर लगा दिया और दूसरे के ऊपर एक मटका राव मिला दिया। राव वाला गारा अलग अलग लगा दिया और मिट्टी वाला अलग लगा दिया। सात साल हो गये जिस मिट्टी में डाला था, राव मिला दिया था वह पानी से नहीं कट पाया जब कि जो बिना राव वाला था, वह पानी से कट गया। मै कह रहा हूं कि गांव के लोगों को सीमेंट की जगह पर कोई ऐसी चीज़ इस गन्ने के रस में या उसके राव में कोई कैमिकल मिलाने पर ईजाद की जाये जिससे कच्ची मिट्टी का गारा बन सके, जिसे पानी न काटे तो इससे सारे देश का उत्थान हो जायेगा और गन्ने के लिये एक स्वर्ण अवसर आ जायेगा।

मैं तो एक सुझाव की बात कर रहा हूं कि इस तरह की चीजों को सोचने की जरूरत है ।

6 P.M.

श्री भानू प्रताप सिंह : जरूर सोचने की जरूरत है और विशेषकर जब सीमेंट की कमी हो गई है । आपको मालूम है, वर्मा जी को भी मालूम है कि पुराने जमाने मे चूने का इस्तेमाल होता था और चूने मे शीरा मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था और छत पर डाला जाता था । लेकिन वह भी अपनी जगह पर सही है । जैसे जैसे आसान तरीके निकलते गए उस तरह से पुराने जो कठिन तरीके थे वे जाते रहे । अब इन-पुट प्राइसेज के बारे मे वर्मा जी ने कहा । उस ओर भी कुछ कदम उठाये गये है और अभी तो आपको फर्टिलाइजर की कीमत ही दिखाई देती है लेकिन सिंचाई के विषय में जो अब तक किसानों को दो हैक्टेयर तक सबसिडी मिलती थी वह अब 4 हैक्टेयर तक मिलेगी । पैस्टीसाइड जो विदेशों से आता था उस पर टैक्स हटा दिया गया है, कस्टम ड्यूटी हटा ली गई है, ऐसी घोषणा की जा चुकी है । हम केवल इस बात को चाहते है कि जो टैक्स वापिस लिए गए है उनका लाभ किसान को मिले न कि जो उसका आयात करते है उनको मिले । इसी प्रकार से पावर-टिलर्ज के बारे मे घोषणा की जा चुकी है । उस पर से जो आयात कर है वह हटाया जाएगा । अब क्रेडिट भी एक प्रतिशत कम सूद पर मिलेगा । यह सब मिलाकर के भी जो एक असंतुलन पैदा हो गया था जिसको पिछली सरकार ने पैदा किया था वह अभी पूरी तरह से संतुलित नही होगा और उसको पूरी तरह से संतुलित करने के लिए अभी वर्मा जी और दूसरे माननीय सदस्यों को काफी प्रयास करना पड़ेगा । कठिनाई यह है कि समाज की कुछ मान्यतायें होती है जो दिमाग में बैठी हुई है । चाहे जितना भी आप समाजवाद की बात करते हों, ग्रामीण विकास की बात करते हों, किसानों की सहानुभूति की बात करते हों वास्तव मे वे ज्यादातर दिखावे की बाते हुआ करती है । सारा जो कुछ भी इस बजट में कनसेशन दिया गया है उसको जोड़ा जाए तो किसी भी दशा में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का नही होने वाला है लेकिन आपने यह भी समाचार-पत्रों मे पढ़ा होगा कि महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, पेंशन बढ़ने वाली है और उस पर 200 करोड़ खर्च होंगे । इस 150 करोड़ रुपये की प्रतिक्रिया आपने समाचार-पत्रों में पढ़ी होगी लेकिन 200 करोड़ के ऊपर कोई प्रतिक्रिया आपको पढ़ने को नही मिली । किसान के विषय में माना जाता है कि वह किसी भी दशा मे अपना गुजारा करता रहेगा । इसको बदलना हम भी चाहते है शायद दो-चार आप में से भी चाहते है । लेकिन यह एक सामाजिक समस्या है । किसान को इस देश मे एक निकृष्ट दर्जे का माना गया है । इसलिए उसके लिए कुछ होता है तो बावेला मच जाता है और उसका कई गुना अगर खर्च हो जाए तो कुछ नहीं होता । सबसिडी की बात कही जाती है । सबसिडी अगर नही है तो किसानों के लिए विशेष नही है लेकिन जो उद्योग चलते है उनके एक्सपोर्ट के लिए 400 करोड़ रुपये की सबसिडी है । यह सब एक दिन मे खत्म नहीं होगा । इसके लिये सबको सोचना पडेगा । किसानों के साथ जो अन्याय है उसको दूर करने के लिए सब के सहयोग की आवश्यकता है और थोडे धैर्य की भी आवश्यकता है ।

श्री प्रेम मनोहर : मोलेसिज़ के बारे में . .

श्री भानु प्रताप सिंह : हां मोलेसिज के बारे मे निर्णय हो चुका है कि कोई चाहे तो वह अपने जनरल लाइसेंस के तहत एक्सपोर्ट कर सकता है । यह भी बहुत अधिक मात्रा में है इसलिए इसकी कीमत बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है लेकिन विदेशों में भेज कर

[श्री भानु प्रताप सिंह]
कोई लाभ उठाना चाहता है तो उठा सकता है।

SHRI R. M. DESAI: What about the sick mills? What is the Government doing to pay to the sick mills which they are going to take over?

श्री भानु प्रताप सिंह : जो टेक-ओवर एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि टेक-ओवर करने के बाद जो पिछले साल का बकाया है, 1977–78 का जो बकाया है उसकी जिम्मेदारी सरकार ले लेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री श्याम लाल यादव): सदन की कार्यवाही अब सोमवार, 19 मार्च, 11 बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at five minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 19th March, 1979.